

तार : 'फूडकोर्प'
Gram : 'FOODCORP'
फैक्स नं: एचएफसीआई एन डी
Fax No.: HFCI ND

भारतीय
खाद्य
निगम



FOOD
CORPORATION
OF INDIA

मुख्यालय
नई दिल्ली
Head Quarters
New Delhi

आइ.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित

00911123413241

16-20, बागखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110001, दूरभाष: 011-43527697, 43527698

00911143527433

16-20, BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI - 110001, PHONE: 011-43527697, 43527698

सं.18-4/2014 - इंटीग्रेशन-II

दिनांक: 25.02.2014

1. समस्त कार्यकारी निदेशक (मुख्यालय)|
2. समस्त कार्यकारी निदेशक (अंचल)|
3. समस्त महा प्रबंधक (क्षेत्र)|
4. निदेशक, खाद्य सुरक्षा संस्थान, गुडगाँव|
5. संपर्क अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय |

विषय : निगम में कार्यरत प्रबंधक (तकनीकी) की वर्ष 31.12.2007 तक पेनलबद्ध अधिकारियों की संशोधित संकलित अनंतिम अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची का परिचालन |

संदर्भ : पत्र सं.-11-8/2013 - इंटीग्रेशन-II/पार्ट-II दिनांक: 03.06.2013|

महोदय,

कृपया, मुख्यालय द्वारा जारी उपरोक्त पत्र का संदर्भ ग्रहण करें | उक्त पत्र के द्वारा प्रबंधक (तकनीकी) की दिनांक 31.12.2007 तक पेनलबद्ध अधिकारियों को संशोधित अनंतिम अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची जारी की गई थी जिसे तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाता है एवं उसके स्थान पर यह संशोधित अनंतिम अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची जारी की जाती है।

यह वरिष्ठता सूची सम्बंधित अधिकारियों के मध्य परिचालित की जाए तथा उन्होंने इस सूची का अवलोकन कर लिया है, इसकी पुष्टि के रूप उनसे हस्ताक्षर करा लिया जाए | अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस पत्र के जारी होने के 10 (दस) दिनों के अंदर त्रुटियों / भूलों को इंगित करते हुए अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं | अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को अपनी टिप्पणियों के साथ मुख्यालय को अग्रेषित कर दें | जो अभ्यावेदन अधिकारियों द्वारा उचित माध्यम से ना भेजकर सीधे भेजे जाएंगे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा |

इस वरिष्ठता सूची को निगम के वेबसाइट www.fciweb.nic.in पर भी देखा जा सकता है |

कृपया इस पत्र की पावती दें |

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,
रजेश चौधरी
25/2/14

उप महा प्रबंधक (आर. पी. आई.)

प्रतिलिपि:

1. सहायक महाप्रबंधक (स्था-1), भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली- वरिष्ठता सूची को वेबसाइट से डाउनलोड कर इसे मुख्यालय में पदस्थापित सम्बंधित अधिकारियों के मध्य परिचालित करें।
2. सहायक महाप्रबंधक (प्रशिक्षण): सूचनार्थ प्रेषित |

उप महा प्रबंधक (आर. पी. आई.)